न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/113/2023	2023/537	01.09.2023	25.02.2026

1. बच्चूसिंह पुत्र श्री नन्दसिंह,
2. निहालसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत,
   निवासीयान ग्राम भांखरी तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।

——अपीलांट्स

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ़, जिला अलवर (राज०)।

—असल रेस्पोडेण्ट

2. अशोक पुत्र नन्दसिंह,
3. महेन्द्रसिंह पुत्र बचनसिंह,
4. कप्तानसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति समस्त राजपूत निवासीयान ग्राम भांखरी तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0।

—— तर0 रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार राजगढ़ दिनांक 16.08.2023 प्रकरण संख्या 63/2023

उपस्थितः—
01.श्री दलेर सिंह —वकील अपीलाण्ट
02.राजकीय अभिभाषक —वकील असल रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 16.08.2023 प्रकरण संख्या 63/2023 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर लगान स्वरूप शास्ति राशि आरोपित की गयी, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। असल रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों/कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवारी हल्का भजेडा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आराजी खसरा नमबर 65 रकबा 0.11 हैक्टेयर वाके ग्राम भॉखरी गैरमुमकिन रास्ता में 0.05 हैक्टेयर भूमि पर पिलर व तार लगा कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है और धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का निवेदन किया।

उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर मिन प्रार्थी अपीलान्टान को जरिये नोटिस तलब फरमाया गया तथा बाद तलबी मिन अपीलान्टान की ओर से जवाब पेश किया और अपीलान्टान द्वारा कोई अतिक्रमण नही करना बताया। जिस पर बाद बहस अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16—08—2023 को आदेश पारित कर आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 0.05 से बेदखल करने एवं एवं लगान 1/— रूपये की 50 गुणा शास्ति 50/—रूपये पैनेल्टी आरोपित की गई है कि जिसके विरुद्ध यह अपील निम्न तथ्यो के साथ पेश की जा रही है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून, खिलाफ मौका एवं खिलाफ रिकार्ड होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अपीलान्टान द्वारा विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण किसी प्रकार का नही किया हुआ है तथा पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह खिलाफ मौका प्रस्तुत की है और प्रभावशली व्यक्तियों के प्रभाव व दवाब में प्रस्तुत की है। सही तथ्य इस प्रकार है कि कमलेश मीणा पुत्र मांगेलाल जो कि विद्युत विभाग में ठेकेदार है और प्रभावशाली व्यक्ति है। उसके द्वारा ही गै०मु०रास्ता भूमि खसरा नम्बर 65 में अवैध रूप से कब्जा कर लेट्रीन, बाथरूम बना रखे है और बिजली का पोल (खम्बा) लगा रखा है। इस प्रकार उक्त कमलेश मीणा द्वारा ही मौके पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। उसके विरुद्ध कार्यवाही ना कर विधि विरूद्ध तरीके से मिन अपीलान्टान के विरूद्ध कार्यवाही की है। आराजी खसरा नम्बर 46, 47, 49, 50, 59, 241, 42, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 वाके ग्राम भांखरी मिन अपीलान्टा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है कि जिस आराजी की बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ के समक्ष एक राजस्व वाद बअनुवानी नन्दसिंह बनाम कमलसिह वगैरा चल रहा है जिसमें रिकार्ड व मौके की यथास्थिति हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई। पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की है वह मिन रास्ते की भूमि की नपत नहीं करते हुए मिन अपीलान्टान की आराजी की बाबत रिपोर्ट तैयार की गई है, लेकिन तहत अदालत द्वारा कोई गौर नही किया जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है एवं अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

अदालत मातहत ने अपीलान्टान को संयुक्त नोटिस जारी किया है जो कानूनन उचित नही है तथा इस प्रकार के नोटिस के आधार पर पारित निर्णय कानून सम्मत नही होने के कारण इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि उक्त प्रकरण लालसिंह के विरूद्ध भी की गई है जबकि उसकी मृत्यु विगत करीब 30वर्ष पूर्व ही हो चुकी है। जिससे भी यह स्पष्ट है कि मौके की कोई विधिवत जांच नही की गई। और कानूनन मृतक पक्षकार – के विरूद्ध कोई मुकदमा नही चल सकता है। जिस स्थिति में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही न्याय संगत नहीं है। मिन अपीलान्टान कानून में आस्था व विश्वास रखने वाले गरीब ग्रामीण व्यक्ति है। अपीलान्टान द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही किया हुआ है। ऐसी स्थिति में पारित निर्णय कानून सम्मत नही होने के कारण इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील पेश करनिवेदन है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर का निर्णय दिनांक 16.08.2023 निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस वकील अपीलांट द्वारा किये गये कथनों को नकारते हुए कथन किये कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 26.07.2023 के अनुसार अपीलाण्ट/अप्रार्थी द्वारा ग्राम भांखरी की किस्म सिवायचक गै.मु. रास्ता (नगर पालिका राजगढ़) की भूमि पर किये गये अतिक्रमण की पुष्टि होती है। प्रश्नगत आराजी खसरा नंबर 65 कुल रकबा 0.11 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता भूमि सार्वजनिक रास्ते की भूमि है जिस पर अतिचारी को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 0.11 हैक्ट० किस्म सिवायचक गै.मु. रास्ता के भाग 0.05 हैक्ट० भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये तथा पेनल्टी अधिरोपित की गई, जो विधि के अनुरूप है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय/पत्रावली का भी अवलोकन किया। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नं. 65 'गैर मुमकिन रास्ता' है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत सार्वजनिक उपयोग की भूमि (जैसे रास्ता) पर किसी भी व्यक्ति को, खातेदारी अधिकार या कब्जे का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण करना जनहित के विरुद्ध है। पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.09.2023 एवं रिपोर्ट दिनांक 26.07.2023 से स्पष्ट है कि मौके पर अतिक्रमण मौजूद था। अपीलार्थी का यह तर्क कि पैमाइश गलत थी, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि उन्हें सीमाज्ञान पर आपत्ति थी, तो उन्हें सक्षम न्यायालय में सीमाज्ञान हेतु अलग से आवेदन करना चाहिए था, न कि कानून हाथ में लेकर सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा करना चाहिए था। राजकीय अभिभाषक का यह तर्क कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में बेदखल किए जाने के बावजूद पुनः अतिक्रमण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की परिस्थितियों और पटवारी के बयान के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला है, वह विधि सम्मत है।

वर्तमान जमाबंदी में भी आराजी खसरा न0 65 रकबा 0.11 है0 की किस्म गैर मुमकिन रास्ता है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अपीलांट द्वारा रास्ते की भूमि पर पिलर व तार लगाकर सार्वजनिक रास्ते को अवरूद्ध कर अतिक्रमण किया हुआ है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–91 के अनुसार सरकारी भूमि, चैरिटेबल/धार्मिक माफी भूमि, देवस्थान विभाग या मंदिर की दर्ज भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही करने का प्राथमिक अधिकार तहसीलदार के पास है। अतः तहसीलदार गै0मु0 रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटा सकता है। यह पूरी तरह विधि–सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 63/2023 में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 16.08.2023 पारित किया गया है, जो उचित है। अतः विद्वान तहसीलदार राजगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.08.2023, जिसमें अपीलार्थी को सार्वजनिक रास्ते की भूमि से बेदखल करने और पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए दंडित किया गया है, तथ्यात्मक और विधिक रूप से सही है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और उभय पक्षों की बहस पर विचार करने के उपरांत, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ द्वारा पारित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 63/2023 में पारित निर्णय दिनांक 16.08.2023 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)